[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली,   मार्च, 2009

अधिसूचना
आय-कर

का.आ. (अ) केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (...............संशोधन) नियम 2009 है ।
   (2) ये 1 अप्रैल, 2009 को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 में,-

(क) नियम 12 में,-
(i) उपनियम (1) में "1 अप्रैल, 2008 को" शब्दों और अंकों के स्थान पर "1 अप्रैल, 2009 को" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
(ii) उपनियम (5) में, "1 अप्रैल, 2007 को" शब्दों और अंकों के स्थान पर "1 अप्रैल, 2008 को" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) परिशिष्ट 2 में, प्ररूप आकवि-1, प्ररूप आकवि-2, प्ररूप आकवि-3, प्ररूप आकवि-4, प्ररूप आकवि-5, प्ररूप आकवि-6, प्ररूप आकवि-7 प्ररूप आकवि-8 और प्ररूप आकवि-V के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :-